35

Attchment-2.2

प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बिनवालगॉव–कलियाधुरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई : 15.200 कि0मी0)

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 764/III (2)/08–85(प्रा0आ0)/2007दिनांक 24–03–2008के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत।

Attchement-2

(36)

संख्या-- 764 / III (2) / 08-05(प्र0अ0) / 2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

प्रस्ताव चम्पावत
खिरवालगांव से कलियाधुरा

लोक निर्माण अनुभाग--2

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषय-- वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 181 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, पौडी/ अल्मोडा एवं आपके द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये आगणनों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 181 कार्यों के आगणन लागत रू0 22496.12 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 22219.77 लाख (रूपये दो सौ बाईस करोड़ उन्नीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित रू0 0.05 लाख विवरणानुसार कुल रू0 9.05 लाख (रुपये नौ लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एव भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. उक्त कार्य पर इसके किसी भाग हेतु यदि इसके पूर्व विभाग या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित

कार्यालय प्रतिलिपि सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0, लो0नि0वि0,
चम्पावत

(37)

A-2.2

Office of the Ex. Engr L.N.V.
D No 1065
File No 3AC
Date 31/3/08

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय, यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो शेष [illegible] का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय, उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

18. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-388 / XXVII(2) / 2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-101 कार्यों की सूची।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 764 (1) / III-2 / 08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल पौड़ी / नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लो.नि.वि. पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1 / 3 उत्तराखण्ड शासन / गार्ड बुक।

छाया प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो० नि० वि०,
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

पत्रांक 1429 / 148 ई-3 / 08 दि० 28/3/8

प्रतिलिपि समस्त अधि० अभि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

31/3/08

Attchement

	मार्ग का निर्माण (बानुसी से पहेनिया)				
119	खटीमा के अन्तर्गत बिरिया चौहरो से मझौला नेलाघाट तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य ।	2.50	30.38	30.38	0.05
120	खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर नं0- 9 से प्रताप पुर न07 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	3.00	72.75	72.75	0.05
121.	खटीमा के अन्तर्गत टनकपुर मार्ग से अमाऊ प्रा0पा0 तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार	1.50	23.94	23.94	0.05
122.	खटीमा के अन्तर्गत गुरूखेड़ा चन्देली मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य ।	2.60	41.50	41.50	0.05
123.	खटीमा के अन्तर्गत चकरपुर फौरिया मार्ग का पुन निर्माण एवं सुधार कार्य।	3.00	47.88	47.88	0.05
124.	खटीमा के अन्तर्गत प्रतापपुर नं0 4 से पार खमरिया तक मार्ग का निर्माण कार्य ।	3.00	72.75	72.75	0.05
125.	ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत भुरारानी सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का भुरारानी-छत्तरपुर मार्ग तक सुदृढीकरण कार्य ।	0.550	16.60	15.13	0.05
126.	पिथौरागढ़ में दलुवाकोट की तोक गागरा से गैरा गाँव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	5.00	183.75	183.75	0.05
127.	पिथौरागढ़ में कालिका खुगती मोटर मार्ग से [illegible] गाँव गैरबसोरा अमगढ़ा एवं लिडंबा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	147.00	147.00	0.05
128.	पिथौरागढ़ में संगौड़ दशौली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य ।	1.00	36.75	36.75	0.05
129.	पिथौरागढ़ में रणकोट महाकाली मंदिर होते हुए गंगोलीहाट बाई पास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	5.00	183.75	183.75	0.05
130.	पिथौरागढ़ में सेरागाड़ में पैदल स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य ।	35मी0	66.96	66.96	0.05
131.	पिथौरागढ़ में पव्वाधार-नैनी-जागेश्वर वाया सेराघाट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.500	275.63	275.63	0.05
132.	पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में द्वालीगाड बला से दाफा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	6.00	220.50	220.50	0.05
133.	पिथौरागढ़ में सैणराथी से होकरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।	15.00	551.25	551.25	0.05
134.	चम्पावत में बिनवालगांव से कलियाधुरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग का निर्माण सेतुओं सहित ।	16.500	671.73	671.73	0.05
135.	ऊधमसिंह नगर में ग्राम महाराजपुर से कनकपुर लिंक मार्ग का पुनरोद्धार कार्य ।	2.50	70.00	70.00	0.05
136.	ऊधमसिंह नगर में छत्तरपुर डॅाम कालोनी की क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कार्य ।	0.800	13.89	13.75	0.05
137.	ऊधमसिंह नगर में रा0इ0का0 शक्तिफार्म से अरविन्द नगर की ओर सड़क निर्माण कार्य ।	2.00	83.95	67.61	0.05
138.	ऊधमसिंह नगर में शक्तिफार्म मार्ग चुंगी से मुख्य मार्ग घोरगलिया हल्द्वानी सितकुल मार्ग	0.60	14.00	14.00	0.05

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

(39)
Attchment 29

175	जनपद देहरादून में चकराता मार्ग के किशन नगर चौक के समीप पार्किंग का निर्माण कार्य ।	-	11.10	10.89	0.05
176.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में बरगाली से मक्कू मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	5.00+1सेतु	328.52	328.52	0.05
177.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में सल्या-खेड़ा-तुलंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	4.00+1सेतु	240.83	240.83	0.05
178.	चमोली में लंगासू से निवाली खेत सिलंगी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	15 किमी	551.25	551.25	0.05
179.	चमोली में बाजपगड़ तेलांग मोटर मार्ग के किमी0 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य तथा किमी0 10 से 12 तक नव निर्माण कार्य ।	-	138.60	138.60	0.05
180	सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग के किमी0 10 से 15 में सुधार एवं पक्कीकरण का कार्य ।	5.00	95.50	95.50	0.05
181.	जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लाक में ग्राम राभा कल्याणपुर के सिद्धगर्ब्याल (शीषगबाल) में पुनर्वासित क्षेत्र के लिंक मार्ग एवं आन्तरिक मार्गों का निर्माण कार्य ।	4.530+ 2 पुलिया 3मी0 स्पान	143.12	132.09	0.05
	योग :-		22496.12	22219.77	9.05

(रु0 नौ लाख पाँच हजार मात्र)

छाया प्रति सत्यापित

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव, प्रभा...

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

सहायक अभियंता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०,
चम्पावत

पत्रांक- 368 /2011/07 दि० 27.3.08

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त स्वीकृत कार्यों की विधानसभा क्षेत्र से आज ही फैक्स द्वारा इस कार्यालय को अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें, यह सूचना आज ही शासन को उपलब्ध करायी जानी है :-

1. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र लो०नि०वि० पौड़ी/अल्मोड़ा
2. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अष्टम/दशम/ ... / ... / ... / ... वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा/नैनीताल/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/उत्तरकाशी/गोपेश्वर/नई टिहरी/देहरादून/पौड़ी, को उपरोक्तानुसार आज ही सूचना फैक्स से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग

(40)
Attchment 22

संख्याः–जी0आई0:– 1863 /7–1–2009–800(2050)/2007

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 27–1–2009.

विषयः– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत रीठा–बिनवालगाँव–गिड़ार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.00 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1840 / 1जी–2080 (चम्पा0) दिनांक 24–01–2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत रीठा–बिनवालगाँव–गिड़ार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.00 हे0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 02 / 2008 / एफ.सी. / 1695 दिनांक 19–01–2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 6.00 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा। प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया गया है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना शासनादेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–V-06/XVIII(I)/2009 दिनांक 09–01–2009 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या–2 में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि उक्त सिविल भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण छः माह के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि उक्त अवधि में इस भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार की उक्त शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, चम्पावत द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि को राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जायेगा व इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।
4. लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. लोक निर्माण विभाग के अधिकारी / कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो [illegible] निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।

सहायक अभियंता
प्रा०खं०, लो०नि०वि०,
चम्पावत

(41)

Attchment-2.2

6. उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि लो
विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को
अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि
भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिक
वापस हो जायेगी।

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेग

8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरि
भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त
यथोचित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख-रखाव किया जायेगा।

10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का
अनुपालन किया जायेगा।

11. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान
के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

12. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्व
जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत
जायेगा।

13. लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिम
की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

14. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की भूमि से सड़क निर्माण
मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

15. मार्ग निर्माण के दौरान न्यूनतम आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूर
वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।

17. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलबे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumpin
Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किय
जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप
सं0-104/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि0 दि0-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं0-110/26/प्र0स0-आ0व0ग्रा0वि0
दि0-4-01-2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977
द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-पी0आई0:-1863/7-1-2009-600(2050)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच,
पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी, चम्पावत।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

फोटो प्रति प्रमाणित
छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
प्रा0खं0, लो0नि0वि0
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)